<u>नियमित टीकाकरण कार्यक्रम</u>

As on Report November, 2016

1.	योजना का	नियिमत टीकाकरण कार्यक्रम
2.	**संक्षिप्त परिचय**	टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पोलियो, गलघोंटू, काली खांसी, नवजात शिशुओं में धनुर्वात (टिटेनस), खसरा, बच्चों मे होने वाले गंभीर प्रकार के क्षय रोग, हेपेटाईटिस-बी एवं हिब (हिमोफिलस इनफ्लूयन्जा बी) निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर से सुरक्षा प्रदान करने के लिये निवारक टीके लगाये जाते हैं।
3.	**प्रारम्भ होने का वर्ष**	19 नवम्बर, 1985 हेपेटाइटिस-बी (15 दिसम्बर, 2011 से) पेन्टावेलेन्ट वेक्सीन संपूर्ण राज्य मे 01 नवम्बर, 2014 से
4.	**लाभाविन्त वर्ग**	1 समस्त गर्भवती महिलायें 2 समस्त 0 से 1 वर्ष के शिशु एवं 1 से 16 वर्ष के बच्चे
5.	**पात्रता**	गर्भवती महिला एवं शिशु
6.	**देय सुविधायें**	गर्भवती महिला को - टी.टी के टीके शिशु को - पोलियो, गलघोंटू, काली खांसी, नवजात शिशुओं में धनुर्वात (टिटेनस), खसरा, बच्चों मे होने वाले गंभीर प्रकार के क्षय रोग, हेपेटाईटिस-बी एवं हिब (हिमोफिलस इनफ्लूयन्जा बी) से सुरक्षा प्रदान करने के लिये निवारक टीके एवं विटामिन -ए का घोल
7.	**आवेदन का तरीका**	इस हेतु किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सुविधायें सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध है।
8.	**आवेदन कहां किया जावे**	यह सुविधा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध है।
9.	**सम्पर्क सूत्र**	ग्राम स्तर पर- आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता उपकेन्द्र स्तर पर - ए.एन.एम. प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्तर पर - चिकित्सा अधिकारी, एल.एच.वी. खण्ड स्तर पर - खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला स्तर पर - जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राज्य स्तर पर - परियोजना निदेशक (टीकाकरण) pdimmunization@gmail.com